मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः10.03.2025

थाना चील्ह पुलिस द्वारा क्रूरता पूर्वक मारपीट कर वध हेतु ले जाए जा रहे 18 राशि गोवंश के साथ एक अन्तर्जनपदीय तस्कर गिरफ्तार, तस्करी में प्रयुक्त डीसीएम वाहन सीज —

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'सोमेन बर्मा' द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ व पशु तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।

उक्त निर्देश के जनपद में गो-तस्करी तथा इसमें संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाकर लगातार अलग-अलग थाना क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही भी की जा रही है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में आज दिनांकः 10.03.2025 को थाना चील्ह पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिरी सूचना के आधार पर थाना चील्ह क्षेत्रांतर्गत चील्ह तिराहे से एक नफर अभियुक्त नन्हे आलम खाना पुत्र शौकत खान निवासी 83/12 काशीराम कालोनी पहाडीगेट थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर उ.प्र. को गिरफ्तार किया गया। मौके से डीसीएम वाहन संख्याः UP22BT0393 में क्रूरता पूर्वक मारपीट कर वध हेतु ले जा रहे कुल 18 राशि गोवंशो को बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चील्ह पर मु 0अ0सं0-42/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा 0न्यायालय/जेल भेजा गया। उक्त तस्करी में प्रयुक्त डीसीएम वाहन को 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

नन्हे आलम खाना पुत्र शौकत खान निवासी 83/12 काशीराम कालोनी पहाडीगेट थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर उम्र करीब 58 वर्ष।

बरामदगी विवरण-

डीसीएम वाहन संख्याःUP22BT0393

18 राशि गोवंश।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-42/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चील्ह मीरजापुर

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय*

चील्ह तिराहा, दिनांकः10.03.2025 समय-13.10 बजे

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उ0नि0 रामकृपाल यादव मय पुलिस टीम थाना चील्ह जनपद मीरजापुर।